हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 118/2022 संदीप वगै0 बनाम राज. सरकार प्रार्थना पत्र अ. धा. 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5.24 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री पवन कुमार उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा ग्राम समसपुर तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 483, 850/487 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.1654 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का दिनांक 08.07.2022 को पटवारी हल्का प्रतापपुरा से सीमाज्ञान करवाया है जिससे प्रार्थी पूर्णतया संतुष्ट है। उक्त भूमि की सीमा चिन्ह के अनुसार प्रार्थी पत्थरगडी करवाना चाहता है। सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगडी करवाने में प्रार्थी को कोई आपति नहीं है।

बहस पत्रावली पर सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम समसपुर पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 483, 850/487 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.1654 है0 अवस्थित है जो मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी की खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड होना साबित है। प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान संलग्न रिपोर्ट दिनांक 08.07.2022 के अनुसार ही पत्थरगडी करवाना चाहता है। चूंकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा :–

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि ग्राम समसपुर पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 483, 850/487 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.1654 है0 भूमि के चारों ओर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08.07.2022 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूला जाकर सीमा चिन्ह यानि पत्थरगडी करवायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं

23.5.24 आदेश दिनांक 3.5.24 का अवलोकन किया जाकर पत्रावली पेशी में ली गई आदेश की प्रथम लाईन में टंकणीय त्रुटि से तहसीलदार गुढागौड़जी अंकित हो गया, जिसको दुरुस्त किया जाकर तहसीलदार झुंझुनूं किया जाता है। मूल आदेश में लाल स्याही से दुरुस्त किया जाये। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)